राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक एफ 16 (1)(139)वि.अनु./सकवि/05/30328 जयपुर, दिनांक : 24.06.2006

विषय :— स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त जन हेतु संचालित विशेष विद्यालय को देय अनुदान।

प्रसंग :— पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 5700 दिनांक 12.1.2006

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित, अस्थि विकलांग, मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विद्यालय एवं आवासीय व्यवस्था हेतु अनुमानित वार्षिक देय राशि का निर्धारण 25 निःशक्तों की एक ईकाई के आधार पर निम्नानुसार किया जाता है।

आवर्तक मद (25 लाभान्वितों की एक यूनिट)

A. मानदेय

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	वार्षिक मानदेय	शैक्षणिक योग्यता	विशेष विवरण
1	प्रधानाध्यापक (150 छात्रों तक)	1	2500x12=30000	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा/बी.एड.	
2	प्रशिक्षित अध्यापक (अध्यापक : छात्र) (1:15 से 1 : 8)	3	3x2000x12=72000	विशेष शिक्षा में डिप्लोमा/बी.एड.	
3	वार्डन (छात्रावास व्यवस्था होने पर)	1	2000 x12=24000	हायर सैकण्डरी	
4	लेखाकार कम लिपिक	1	2000 x12=24000	स्नातक	
5	स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियो लोजिस्ट/ फिजियोथेरेपिस्ट /ब्रेल शिक्षक/योग प्रशिक्षक/साईकोलोजिस्ट /चिकित्सक	1/1/1/1 1/1/1	2000 x12=24000	संबंधित विषय में विशेषज्ञता	विकलांग श्रेणी के विद्यालय की आवश्यकतानुसार
6	च.श्रे.कर्म./परिचारिका	1/1	1000 x12=12000	साक्षर	प्रत्येक 50 तक एक —एक
7	चौकीदार	1	1000 x12=12000	साक्षर	केवल छात्रावास व्यवस्था होने पर
8	रसोइया	1	1000 x12=12000	साक्षर	
9	स्वीपर (अंशकालीन)	1	800 x12=9600	साक्षर	छात्रावास एवं विद्यालय दोनों होने पर 200 रु. प्रतिमाह अतिरिक्त

10	व्यावसायिक प्रशिक्षक (50 छात्रों पर एक)	1	2000 x12=24000	संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित	विद्यालय में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाने की स्थिति में
11	वाहन भत्ता (दिवसीय छात्र/ छात्राओं हेतु)		100/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 75/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 50/- प्रतिमाह प्रति लाभान्वित	ए. श्रेणी के शहर बी श्रेणी के शहर सी श्रेणी के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र	
12	भवन किराया (विद्यालय भवन)		3000x12=36000 2000x12=24000 1500x12=18000	ए. श्रेणी के शहर बी श्रेणी के शहर सी श्रेणी के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र	किरायानामा प्रस्तुत करने पर निर्धारित राशि एवं किरायानामा में अंकित राशि दोनो में से जो भी कम होगी देय होगी। यह दरे अलग–अलग भवन होने पर है। एक भवन होने पर छात्रावास किराये की दरे लागू होगी।
13	भवन किराया (छात्रावास भवन)		4000x12=48000 3000x12=36000 2000x12=24000	ए. श्रेणी के शहर बी श्रेणी के शहर सी श्रेणी के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र	

B.	**अन्य व्यय**		
1	लेखन एवं मुद्रण व्यय	10/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल विद्यालय हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
2	पानी एवं बिजली व्यय	10/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल विद्यालय हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
3	पुस्तकें, पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष पर	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल विद्यालय हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
4	खेलकूद, व्यायाम, शिक्षा एवं अन्य स्तर की गतिविधियाँ	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल विद्यालय हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
5	अन्य अनुमोदित गतिविधियाँ (आवश्यकता होने पर)	5/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल विद्यालय हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
6	विविध व्यय (कार्यालय व्यय, पोस्टज स्टेशनरी, एवं फुटकर व्यय)	एक मुश्त 5000/–वार्षिक	छात्रावास हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को देय ।
7	छात्रावास हेतु मैस भत्ता	675/– रुपये प्रतिमाह प्रति लाभान्वित 10 माह हेतु	केवल छात्रावास हेतु अनुदान पाने वाली संस्थाओं को
	अ. भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन 525/– ब. स्कूल यूनिफॉर्म मय सिलाई, जूते–मौजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी 80/–		

	स. सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग 24/– द. चद्दर, तकिया खोली एवं खेस आदि धुलाई 12/– य. पानी–बिजली व्यय 28/– र. समाचार पत्र–पत्रिकायें 6/– **675/–**	

मानदेय : स्टाफ के नियुक्त होने पर वास्तविक रूप से दिये जा रहे मानदेय एवं अधिकतम अनुमानित सीमा में से जो भी कम होगा, देय होगा। अनुमानित वार्षिक देय राशि 25 लाभान्वितों की एक यूनिट के हिसाब से है। 25 से अधिक लाभान्वित होने पर स्टाफ उपलब्ध बजट के अनुसार देय होगा। बजट उपलब्ध होने पर छात्रावास में 25 से अधिक बालक होने पर रसोईयों की सेवायें निम्नानुसार स्वीकृत की जा सकेंगी। परंतु रसोईया एवं प्रशिक्षित स्टाफ यूनिट के हिसाब से विभाग की अनुमति से बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु उक्त नियमों के अन्तर्गत वर्तमान में अनुदान प्राप्त कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं में कार्यरत स्टाफ को पुनः स्वीकृत करवाने की बाध्यता नहीं हैं। मानदेय में प्रति वर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि उपलब्ध बजट प्रावधान को ध्यान में रखते हुए की जावेगी।

छात्र/छात्रा संख्या	रसोईयों की संख्या
25 या कम	एक
26 से 50	दो
51 से 75	तीन
76 से 120	चार
121 से 160	पांच
160 से अधिक	छह

अन्य मदों में स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देशों में अंकितानुसार बजट सीमा तक सक्षम स्वीकृति बाद स्वीकृत किये जा सकेंगे।

छात्रावास व्यवस्था वाली स्वयंसेवी संस्था को प्रति लाभान्वित निम्न सामान हेतु एकमुश्त राशि उपलब्ध करवायी जावेगी।

a- एक दरी।

b- दो कम्बल।

c- एक तकिया मय दो कवर।

d- एक खेस।

e- दो चादर।

f- एक गद्दा।

g- एक थाली, दो कटोरी, दो गिलास, एक बड़ा प्लास्टिक मग।

h- एक चारपाई या लकड़ी का तख्ता।

i- प्रत्येक छात्र/छात्रा को सामान रखने हेतु एक अलमारी अथवा एक लोहे का बक्सा दिया जावेगा।

j- रसोई तैयार करने हेतु बर्तन भट्टी, गैस कनैक्शन एवं अन्य व्यवस्थायें।

उक्त सभी सामानों के क्रय हेतु प्रति लाभान्वित रुपये 4000/– स्वीकृत किये जावेंगे।

2. मूक बधिर बालक/बालिकाओं के लिए चिकित्सक की सलाह पर हियरिंग एड, समूह हेतु ग्रुप हियरिंग एड, प्रोफार्मा इनवाइस प्रस्तुत करने पर ।
3. नेत्रहीन बालक/बालिकाओं के लिए पठन सामग्री हेतु ब्रेल स्लेट एवं अन्य सामग्री प्रोफार्मा इनवाइस प्रस्तुत करने पर ।
4. लाभान्वितों की कक्षाओं के लिए फर्नीचर हेतु प्रति लाभान्वित रुपये 1500/– स्वीकृत किये जावेंगे।
5. कार्यालय फर्नीचर हेतु एकमुश्त रुपये 10000/– स्वीकृत किये जावेंगे।
6. अनावर्तक मद में क्रय प्रतिष्ठित एवं अनुमोदित फर्मो से क्रय किया जावेगा तथा उनके स्टाक प्रविष्टि बाद बिलो की छाया प्रति संस्था द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रमाणिकरण बाद निदेशालय को प्रस्तुत की जावेगी ।
7. अनावर्तक मद में सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु आरम्भ तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों में उल्लेखित समयावधि व्यतीत होने पर सामान नकारा होने की स्थिति में वित्त विभाग की सहमति से की जावेगी।

8- अन्य मदों में स्वीकृति प्रशासनिक विभाग द्वारा दिशा–निर्देशों में अंकितानुसार बजट सीमा तक सक्षम स्वीकृति बाद स्वीकृत किये जा सकेंगे। उक्त नॉर्म्स/स्कीम स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता अनुदान नियम, 1972 के अन्तर्गत आयोजना मद एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रही स्वयं सेवी संस्था के लिए लागू होगीं।

उक्त स्कीम/नॉर्म्स वित्त (व्यय–2) विभाग की आई. डी. संख्या 1396 दिनांक 1.6.2006 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

विशिष्ठ शासन सचिव 23.6.06

क्रमांक एफ 16 (1)(139)वि.अनु./सकवि/05/ 30329-80 जयपुर, दिनांक :- 24/6/06

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 विशिष्ठ सहायक, मंत्री, समाज कल्याण विभाग,राजस्थान, जयपुर ।
2 निज़ी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3 उप शासन सचिव, वित्त (व्यय–II) विभाग को उनकी आई. डी. संख्या 1396 दिनांक 1.6.06 के क्रम में सूचनार्थ।
4 निजी सचिव, निदेशक, समाज कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5 उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग --
6 अध्यक्ष/मंत्री/सचिव/--
7 आदेश पत्रावली ।

सहायक शासन सचिव

15

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक : एफ 16 (1)(139)वि.अनु./सान्याअवि/10/ 39181 जयपुर, दिनांक : 21/7/10

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त जन हेतु संचालित विशेष विद्यालय को देय अनुदान में वृद्धि।

प्रसंग : पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 3722 दिनांक 25.01.2006 एवं पत्रांक 30328 दिनांक 24.06.2006

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित, अस्थि विकलांग, मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विद्यालय एवं आवासीय व्यवस्था हेतु अनुमानित वार्षिक देय राशि का निर्धारण विशेष विद्यालयों हेतु प्रासंगिक आदेश क्रमांक 30328 दिनांक 24.06.2006 के लिए तथा आदेश क्रमांक 3722 दिनांक 25.01.2006 से संभाग स्तरीय विद्यालयों के लिए निम्नांकित मदों हेतु उल्लेखित मानदेय का निर्धारण किया गया था।

विभाग से अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत विशेष शिक्षकों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार वृद्धि दि. 01.07.2010 से निम्नांकित शर्तो के अध्ययाधीन वित्त विभाग की सहमति से की जाती है :-

आवर्तक मद-A मानदेय

क्र.सं.	पदनाम	प्रतिमाह देय मानदेय	शैक्षणिक योग्यता
1	प्रधानाध्यापक	8200	विशेष शिक्षा में बी.एड./डिप्लोमा
2	प्रशिक्षित अध्यापक	8000	विशेष शिक्षा में बी.एड./डिप्लोमा

शर्ते :-

(i) स्वयं सेवी संस्था द्वारा कार्यरत विशेष प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक को प्रतिमाह देय मानदेय का भुगतान उसके नाम से खुले बैंक बचत खाते में जमा कराकर ही किया जाना होगा।

(ii) विभागीय अधिकारी अनुदानित संस्था का निरीक्षण करते समय इस शर्त की पालना किये जाने का सत्यापन करेगें एवं समय-समय पर किये जाने वाले निरीक्षण की रिपोर्ट में अनिवार्य रूप से इसका उल्लेख कर निदेशालय को सूचित करेगें।

(iii) प्रति वर्ष संस्था द्वारा अनुदान प्रस्ताव के साथ उक्त शर्तो की पालना का सत्यापन/पुष्टि की जायेगी, जो संस्थाऐं इस शर्त की पालना नहीं करेगी उन्हें अनुदान देय नहीं होगा।

नोट :- अन्य शर्ते एवं प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे।

पूर्व निर्धारित स्कीम/नॉर्म्स में यह वृद्धि आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 101002369 दिनांक 14.07.2010 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव

21/07/10

D:\Perx\HANDICAPPED\S.S\Amndments of norms.doc

16

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन, राजमहल पैलेस के पीछे, रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर।

क्रमांक : एफ 16 (1)(139)वि.अनु./सान्याअवि/10/ 30368 जयपुर, दिनांक 8/4/2011

विषय : स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त जन हेतु संचालित विशेष आवासीय/गैर आवासीय निःशक्तजन विद्यालयों एवं छात्रावासों के कार्मिकों को देय प्रतिमाह अनुदान राशि में वृद्वि।

प्रसंग : पूर्व में जारी समसंख्यक पत्रांक 3722 दिनांक 25.01.2006 एवं पत्रांक 30328 दिनांक 24.06.2006

स्वैच्छिक ऐजेन्सियों के सहायता अनुदान नियम 1972 के अन्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित मानसिक विमंदित, अस्थि विकलांग, मूक बधिर एवं नेत्रहीनों के लिए विद्यालय एवं आवासीय व्यवस्था हेतु अनुमानित वार्षिक देय राशि का निर्धारण विशेष विद्यालयों हेतु प्रासंगिक आदेश क्रमांक 30328 दिनांक 24.06.2006 के लिए तथा आदेश क्रमांक 3722 दिनांक 25.01.2006 से संभाग स्तरीय विद्यालयों के लिए निम्नांकित मदों हेतु उल्लेखित मानदेय का निर्धारण किया गया था।

विभाग से अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित संभाग स्तरीय विद्यालय एवं विशेष आवासीय/गैर आवासीय, निःशक्तजन विद्यालयों एवं छात्रावासों के निम्न कार्मिकों को देय प्रतिमाह अनुदान राशि/मानदेय की दरों में निम्नानुसार वृद्धि दिनांक 01.04.2011 से पूर्व शर्तो के अध्ययाधीन वित्त विभाग की सहमति से की जाती है :-

आवर्तक मद-A मानदेय

क्र.सं.	पद	वर्तमान दर (प्रतिमाह)	दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी दर (प्रतिमाह)
1	अप्रशिक्षित अध्यापक	1500	3500
2	वार्डन	2000	4000
3	लेखाकार कम लिपिक	2000	4000
4	स्पीच थेरेपिस्ट/ऑडियोलोजिस्ट/ फिजियो थेरापिस्ट/ब्रेल-शिक्षक/ योग प्रशिक्षक/साईकॉलोजिस्ट/ चिकित्सक	2000	4000
5	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/परिचारिका	1000	2500
6	रसोईया	1000	2500
7	व्यावसायिक प्रशिक्षक	2000	4000
8	चौकीदार	1000	2500
9	स्वीपर (अंशकालीन)	800	2000

नोट :- अन्य शर्ते एवं प्रावधान पूर्वानुसार रहेंगे।

पूर्व निर्धारित स्कीम/नॉर्म्स में यह वृद्धि आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. संख्या 161100238 दिनांक 31.03.2011 के आधार पर प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

आयुक्त एवं शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16 (1)(139)वि.अनु./सान्याअवि/10/ 33369-450 जयपुर, दिनांक : 8/4/2011

प्रतिलिपिः-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1 विशेषाधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

2 निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सचिवालय, जयपुर।

3 निजी सचिव, माननीया प्रमुख शासन सचिव महोदया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।

4 उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को आई. डी. संख्या 161100238 दिनांक 31.03.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

5 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

6 उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ---

7 अध्यक्ष/मंत्री/सचिव/-----------------------------------

8 आदेश पत्रावली ।

उप निदेशक (वि.क.)

D:\Perx\HANDICAPPED\S S\Amndments of norms.doc

राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
जी-3/1-ए, राजमहल रैजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./ब.घो. 2016-17 घोषणा संख्या-107/16 2468

जयपुर, दिनांक 20/5/16

आदेश

बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के पैरा 107 पर की गई घोषणा के क्रियान्वयन के अनुक्रम में विशेष योग्यजन विभाग में अनुदानित संस्थाओं द्वारा विशेष योग्यजन के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों/छात्रावास एवं मानसिक विमन्दित पुर्नवास गृहों की मैस/भोजन भत्ते की राशि रु 1900/- प्रतिमाह प्रति छात्र को बढ़ाकर रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र/प्रति आवासी 01 जून, 2016 से करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अनुसार आवासीय विद्यालय/छात्रावास 10 माह प्रति सत्र, प्रति छात्र एवं मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह में आवासीयों हेतु 12 माह प्रति सत्र प्रति आवासी के लिए रु. 2000/- का मदवार विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है :-

क्र.सं.	मद	प्रतिमाह राशि
1.	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईधन इत्यादि	1410
2.	स्कूल यूनिफार्म मय सिलाई, जूतें, मोजे, तोलियें एवं गर्म जर्सी इत्यादि	250
3.	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटिंग	70
4.	चद्दर, तकिया, खोली व खेस आदि धुलाई	45
5.	बिजली-पानी	145
6.	समाचार पत्र-पत्रिकाऐं आदि	25
7.	छात्रावास की सफाई	55
	योग	2000

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या 161600561 दिनांक 16.05.2016 के अनुसरण में जारी की जाती है तथा संशोधित दरें 01 जून, 2016 से लागू होगी, अन्य शर्तें पुर्वानुसार रहेगी।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
निदेशक
एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1)( )वि.यो./ब.घो. 2014-15 घोषणा संख्या-172/14/ 2469-2560

जयपुर, दिनांक 20/5/16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, माननीय मुख्य मंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर को वर्ष 2016-17 की बजट घोषणा के क्रम में।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2), विभाग, राजस्थान, जयपुर को आई.डी. संख्या 161600561 दिनांक 16.05.2016 के अनुसरण में।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, निदेशालय विशेष योग्यजन।
7. अतिरिक्त निदेशक/लेखाधिकारी/उप निदेशक, निदेशालय विशेष योग्यजन, मुख्यावास।
8. उपायुक्त (विशेष योग्यजन), राजस्थान, जयपुर।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग......................................।
10. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री...
11. आदेश पत्रावली।

(रामजी लाल गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक

F:\office letters\...